Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

क्रमांक 5983 आ.आ. / प्रशा. / मुख्या. / एफ– / 13 रायपुर, दिनांक 31 / 8 / 2013

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संभाग क्र.–1,2,3,4, रायपुर / राज.परि.सं.–1 / 2, रायपुर
परियोजना संभाग–दुर्ग / दुर्ग / राजनांदगांव / रायगढ़ /
बिलासपुर / जगदलपुर / कोण्डागांव / कोरबा / अंबिकापुर ।

विषयः–रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा 30 वर्षीय पट्टों पर आबंटित आवासीय भू–खण्डों / भवनों को फ्री–होल्क के रूप में परिवर्तन करने हेतु प्राधिकरण / मण्डल के आधिपत्य की भूमि का नामांतरण नियमों में शिथिलीकरण करते हुए एक बार नामांतरण करने बाबत् ।

संदर्भः–अवर सचित छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्रबंधन विभाग का पत्र क्र.–एफ–7–121 / सात–1 / 2013 पार्ट नया रायपुर, दिनांक 22.08.2013 ।

–000–

छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित पत्र द्वारा मण्डल की योजनाओं में लीज पर आंबटित आवासीय भू–खण्डों / भवनों को फ्री–होल्ड में परिवर्तित करने की कार्यवाही को त्वरित रूप से पूर्ण करने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये है । समस्त कलेक्टर को राज्य शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आधिपत्य की शासकीय भूमि जो शासन से आबंटन की प्रत्याशा में अथवा अग्रिम आधिपत्य के रूप में मण्डल की योजनाओं में शामिल है उसे तत्काल प्रभाव से मण्डल को आबंटित करते हुए नामांतरण की कार्यवाही की जावें । **(पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है)**

उक्त पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि भूमि आबंटन के कोई प्रस्ताव लंबित अथवा विचाराधिन हो तो उसमें जांच की कार्यवाही पूर्ण कर तत्काल विभाग को प्रेषित करने की कार्यवाही की जावें ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के आधिपत्य की ऐसी भूमियॉ जो अग्रिम आधिपत्य में प्राप्त हुई हो अथवा जिनके आबंटन की कार्यवाही अपेक्षित है, के संबंध में जिला कार्यालयों से संपर्क कर शीघ्र मण्डल के नाम पर आबंटन एवं नामांतण की कार्यवाही पूर्ण कराई जावें । यदि भूमि आबंटन के कोई प्रस्ताव जिला कार्यालय स्तर पर लंबित है तो उसमें भी कार्यवाही कर शीघ्र प्रकरण राजस्व विभाग को प्रेषित किये जावें ।

क्रमशः–2–

अतः भूमियों के आबंटन/नामांतरण की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संपन्न कर प्रतिवेदन मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ. क्रमांक/4984 आ.आ./प्रशा./मुख्या/एफ–   /13   रायपुर, दिनांक 31/8/2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
3. उपायुक्त–1/2, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-7-121/सात-1/2013 पार्ट

नया रायपुर, दिनांक 22/8/13

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा 30 वर्षीय पट्टों पर आवंटित आवासीय भू-खंडों/भवनों को फ्री-होल्ड के रूप में परिवर्तन करने हेतु प्राधिकरण/मण्डल के आधिपत्य की भूमि का नामांतरण नियमों में शिथिलीकरण करते हुए एक बार नामांतरण करने बावत् ।

*****

राज्य शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि रायपुर विकास प्राधिकरण या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आधिपत्य की ऐसी शासकीय भूमि, जो आवंटन की प्रत्याशा में उनके आधिपत्य में है या बिना अग्रिम आधिपत्य के योजनाओं में शामिल है, उन्हें तत्काल प्रभाव से उक्त संस्थाओं को आवंटित करते हुए उनके पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही की जावे । यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसी शासकीय भूमि में से आवासीय भूखण्ड-भवन के रूप में जिनका पट्टा निष्पादित है, उन्हें फ्री-होल्ड के रूप में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जावे ।

2/ अतः यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्थाओं को यदि भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव आपके जिले में लंबित, विचाराधीन हो, तो उसमें जांच की कार्यवाही पूर्ण कर तत्काल उचित माध्यम से विभाग को भेजने की कार्यवाही करें ।

(वाय. पी. दुपारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-7-121/सात-1/2013 पार्ट

नया रायपुर, दिनांक 22/8/13

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- 309 -D:\Subhash\dwivedi\letter.doc